न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 14/2021

जीसीएमएस नम्बर : 2021/31

अपीलाण्ट
तहसीलदार रायपुर

बनाम रेस्पोडेन्ट
1. सरपंच ग्राम पंचायत देवली कलां
तहसील रायपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति –
श्री सुरेन्द्रसिंह लबाना, सरकारी पैरोकार
रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अनुपस्थित।

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 24.08.22

अपीलाण्ट द्वारा अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत कर तहसीलदार रायपुर द्वारा पारित आदेश क्रमांक/राजस्व/दिनांक 19.12.1974 एवं उसकी पालना में दायर नामान्तरकरण संख्या 841 दिनांक 19.12.1974 को अपास्त कराने का निवेदन किया, साथ ही अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन करने हेतु परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही करते हुए बहस सुनी गई।

सरकारी पैरोकार ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि जैर अपील विवादित आराजी ग्राम देवली कला तहसील रायपुर के खसरा नम्बर 924 रकबा 106 बीघा किस्म आगोर दर्ज थी। तहसीलदार रायपुर द्वारा राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.6(118)राज/ग्रुप/4/74 दिनांक 06.12.1974 के अनुसरण में उक्त भूमि में से 25 बीघा भूमि की किस्म गै0मु0 ओरण से आबादी में परिवर्तित कर उक्त भूमि का आवंटन केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व भूमिहीन कृषि श्रमिकों को 150 वर्गगज प्रति व्यक्ति आवासीय भूखण्ड हेतु किये जाने के आदेश जारी किये। चूंकि उक्त भूमि आगोर की थी, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के तहत आवंटन नियमन से प्रतिबन्धित थी। इसके बावजूद भी तहसीलदार रायपुर द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाते हुए उक्त भूमि को आबादी में परिवर्तित किया हैं, जो विधि विरूद्ध हैं। ग्रामवासी देवली कलां द्वारा शिकायतें करने पर पटवारी हल्का से जांच करवाने पर यह संज्ञान में आया कि आगोर की भूमि का वर्गीकरण परिवर्तन करते हुए आबादी दर्ज किया गया है, जो विधि विरूद्ध हैं। इस कारण तत्काल अपील तैयार की जाकर प्रस्तुत की गई। इसके बावजूद भी विधिक पेचीदगियों से बचने के लिये परिसीमा अधिनियम, 1965 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया हैं। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील आदेश एवं उसकी पालना में दायर नामान्तरकरण संख्या 841 को अपास्त कराते हुए प्रकरण में प्रश्नगत भूमि को पुनः आगोर के रूप में राजस्व रेकर्ड में दर्ज कराने का आदेश पारित करावें।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

रेस्पोडेन्ट वक्त बहस उपस्थित नहीं हुए। उनके द्वारा दिनांक 04.03.2021 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण में प्रश्नगत भूमि कि किस्म परिवर्तन के पश्चात ग्राम पंचायत द्वारा उक्त 25 बीघा भूमि में पट्टे जारी कर दिये है तथा पट्टों के आधार पर कईं लोगों द्वारा पक्का निर्माण कार्य भी करवाया गया है तथा वहां निवास कर रहे हैं। उक्त स्थिति के मद्देनज़र वहां के निवासियों को राहत तथा गलत किस्म परिवर्तित करने वालों तथा नियम विरूद्ध कार्यवाही करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए अग्रिम आदेश पारित कराने का निवदेन किया।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। प्रकरण में प्रथमतः इस तथ्य का निर्धारण किया जाना है कि हस्तगत अपील मियाद बाधित है अथवा नहीं ? इस सम्बन्ध में अपीलाण्ट की ओर से परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया हैं। अपीलाण्ट द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र में जो कारण दर्शित किए है, वे सन्तोषप्रद हैं। इस कारण अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 को स्वीकार किया जाकर अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाता हैं। यह स्वीकृत तथ्य है कि ग्राम देवली कलां के खसरा नम्बर 924 की भूमि गै0मु0 आगोर के रूप में राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी, जिसे तहसीलदार रायपुर द्वारा राजस्व (ग्रुप–4) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.6(118)राज/ग्रुप/4/74 दिनांक 06.12.1974 के अनुसरण में गै0मु0 आगोर से आबादी में परिवर्तन करने के आदेश जारी किये हैं। राजस्व (ग्रुप–4) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.08(118) राज/ग्रुप–4/74 दिनांक 04.10.1975 के जरिये यह निर्देश दिए गए है कि "आबादी के विकास के लिये भूमि पृथक करने की शक्ति, जो उक्त अधिनियम की धारा 92 द्वारा कलक्टर को प्रदत्त की गई है, का प्रयोग तहसीलदार द्वारा भी किया जायेगा।" इस प्रकार यदि तहसीलदार को आबादी विस्तार हेतु शक्तियां भी प्रदान की गई थी, तो वे शक्तियां मात्र भूमि आरक्षित करने तक सीमित थी। इसके अतिरिक्त गै0मु0 आगोर की भूमि, जिसे गंवाई तालाब के पेटे की भूमि माना गया है, जिस पर होकर किसी गांव या आस–पास के गांवों के लिये पीने का पानी किसी जलाशय या टांके में बहकर जाता है, उक्त भूमि के खातेदारी अधिकार किसी भी स्थिति में प्रोद्धृत नहीं होते हैं। इस कारण यह इस प्रकार की भूमियों को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रभाव में आते ही प्रतिबन्धित किया गया था। प्रकरण हाजा में तहसीलदार द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाते हुए अपीलाधीन आदेश के जरिये गै0मु0 आगोर की भूमि को आबादी के रूप में दर्ज किया गया है, जो किसी भी स्थिति में विधि सम्मत नहीं हैं।

लिहाजा अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार रायपुर द्वारा पारित आदेश क्रमांक/राजस्व/ दिनांक 19.12.1974 एवं उसकी पालना में दायर नामान्तरकरण संख्या 841 दिनांक 19.12.1974 को अपास्त किया जाकर उक्त आदेश दिनांक 19.12.1974 से पूर्व की राजस्व रेकर्ड अनुसार स्थिति पुर्नस्थापित करने के आदेश दिये जाते हैं। इस आदेश की प्रति के साथ तहसीलदार रायपुर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का मूल रेकर्ड लौटाया जावे। पत्रावली बाद पालना फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह निर्णय आज दिनांक 24.08.22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली